प्रेस नोट
दिनांक 13.12.2025

थाना को0देहात पुलिस द्वारा गोवंशों की तस्करी करने के रु0 25,000/- के ईनामिया वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0स0-447/23, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित वांछित शातिर अभियुक्त- अभिषेक यादव पुत्र वेद प्रकाश निवासी बघरवारा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर को उसके घर ग्राम बघरवारा जनपद जौनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.08.23 को थाना को0 देहात पुलिस बल को रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली कि ग्राम लक्ष्मणपुर जाट खालेपुरवा में कुछ लोग एक ट्रक मे छुट्टा गोवंश लाद रहें हैं, सूचना पर को0देहात पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचे तो पुलिस की आहट पाकर वहाँ मौजूद व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गये तथा वहाँ मौजूद अन्य छुट्टा जानवर खेतों की ओर भाग गये । तथा ट्रक में देखा गया तो चार गोवंशों को रस्सी से निर्दयतापूर्वक बाँधकर लादा गया था। जिसके संबंध में थाना को0 देहात पर तैनात उ0नि0 सुभाष यादव द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । **घटना के संबंध में बरामदगी के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान मुकदमे के संबंध में अब तक कुल 04 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। लेकिन अभियुक्त** अभिषेक यादव **गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था, जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्रीमान विनीत जायसवाल द्वारा अभिषेक यादव पुत्र वेद प्रकाश निवासी बघरवारा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर पर रु0 25,000/- का पुरस्कार घोषित किया था ।** अभियोग में तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 12.12.2025 को थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त- अभिषेक यादव पुत्र वेद प्रकाश निवासी बघरवारा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर को उसके घर ग्राम बघरवारा जनपद जौनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अभिषेक यादव पुत्र वेद प्रकाश निवासी बघरवारा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-447/23, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना को0 देहात जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. वरि0उ0नि0 कमल शंकर चतुर्वेदी
02. उ0नि0 विजय बहादुर यादव
03. उ0नि0 संदीप कुमार
04. का0 जागेश्वर गौड़

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक - 13.12.2025
जनपद - गोण्डा

बरवार समुदाय के उत्थान हेतु गोण्डा पुलिस की पहल के दृष्टिगत थाना मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दिलीपपुरवा (भिटौरा) में चौपाल/जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित-

कार्यक्रम के दौरान बरुआर समाज से आने वाले पूर्व विधायक श्री राम विशुन जी के द्वारा भी सहभागिता व जन संवाद किया गया-

गोण्डा। समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने, ग्राम स्तर पर आपराधिक प्रवृत्तियों में कमी लाने तथा समुदाय को शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा एवं विकास के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से गोण्डा पुलिस द्वारा थाना को0 मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दिलीपपुरवा (भिटौरा) में बरवार समुदाय के साथ एक व्यापक चौपाल/जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पहल पुलिस प्रशासन की "जन-सहभागिता आधारित सुरक्षित समाज" की नीति को और अधिक सुदृढ़ करती है। उक्त कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र श्री अमित पाठक एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा प्रतिभाग करते हुए बरवार समुदाय के लोगों से सीधे संवाद स्थापित किया गया। कार्यक्रम में बरवार समाज से आने वाले पूर्व विधायक श्री राम विशुन जी समेत समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति रही। चौपाल के दौरान उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बरुवार समुदाय के उन व्यक्तियों को विशेष रूप से प्रेरित किया गया, जो पूर्व में किसी न किसी रूप में आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया गया कि अपराध का मार्ग न तो सुरक्षित है और न ही स्थायी। पुलिस महानिरीक्षक महोदय एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा समाज के युवाओं से अपराध छोड़कर शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण, रोजगार एवं स्व-रोजगार की ओर अग्रसर होने की अपील की गई तथा परिवार व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सम्मानजनक जीवन जीने का संदेश दिया गया। चौपाल में शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उनसे मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस चौपाल का प्रमुख उद्देश्य बरवार समुदाय के लोगों की समस्याओं, उनकी सामाजिक-आर्थिक बाधाओं एवं चुनौतियों को समझना था, जिनकी परिस्थितियाँ कभी-कभी उन्हें आपराधिक गतिविधियों की ओर धकेल देती हैं। उच्चाधिकारीगण द्वारा उनका मनोबल बढ़ाते हुए समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक रूप से पुनः स्थापित होने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने एवं खेल के माध्यम से अनुशासन व टीम भावना विकसित करने के उद्देश्य से खेल सामग्री का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर दो क्रिकेट टीमों को क्रिकेट बैट, बॉल, स्टम्प आदि सामग्री प्रदान की गई, साथ ही दो वॉलीबॉल, वॉलीबॉल नेट एवं बैडमिंटन रैकेट भी वितरित किए गए। गोण्डा पुलिस द्वारा यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि अपराध से दूरी बनाकर शिक्षा, प्रशिक्षण, खेल, रोजगार एवं स्व-रोजगार के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनना ही बेहतर भविष्य की दिशा है। इस प्रकार की चौपाल/जनसंवाद जैसी पहल आगे भी निरंतर जारी रहेंगी, जिससे समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों और उन्हें सकारात्मक दिशा मिल सके।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायन पालीवाल, प्रभारी निरीक्षक को0 मनकापुर सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 13.12.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 02 दहेज हत्याभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 556/2025 धारा 80 (2)/85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 दहेज हत्याभियुक्तगण 1. अभय पाण्डेय पुत्र गोकुल पाण्डेय उर्फ शोभाराम व 2. गोकुल पाण्डेय उर्फ शोभाराम पुत्र रामदुलारे निवासीगण ग्राम चन्दवतपुर खास थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को गोण्डा - कटराबाजार मार्ग से ग्राम चन्दवतपुर जाने वाली रोड से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.12.2025 को थाना को0 देहात पर वादी अशोक कुमार पुत्र स्व0 रामराखन नि० ग्राम समदारिया पुरवा मौजा बिकरवा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा का लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उन्होने अपनी पुत्री की शादी करीब 06 वर्ष पूर्व अभय पाण्डेय पुत्र गोकुल पाण्डेय उर्फ शोभाराम नि0 ग्राम चन्दवतपुर खास थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के साथ की थी । शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति अभय व अन्य ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित करने लगे। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि ससुरालीजनों ने उनकी पुत्री को मारकर लटका दिया गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 13.12.2025 को उ0नि0 प्रशान्त शुक्ला मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दहेज हत्याभियुक्तगण - 1. अभय पाण्डेय पुत्र गोकुल पाण्डेय उर्फ शोभाराम व 2. गोकुल पाण्डेय उर्फ शोभाराम पुत्र रामदुलारे निवासीगण ग्राम चन्दवतपुर खास थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को गोण्डा - कटराबाजार मार्ग से ग्राम चन्दवतपुर जाने वाली रोड से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अभय पाण्डेय पुत्र गोकुल पाण्डेय उर्फ शोभाराम
02. गोकुल पाण्डेय उर्फ शोभाराम पुत्र रामदुलारे निवासीगण ग्राम चन्दवतपुरखास थाना को0 देहात जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 556/2025 धारा 80 (2)/85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 प्रशान्त शुक्ला
02. हे0कां0 आत्मा सिंह
03. हे0कां0 संजय मद्धेशिया
04. हे0कां0 संतोष प्रसाद

मीडिया सेल, गोण्डा।